



**जोधपुर विद्युत
वितरण निगम
लिमिटेड**

क्रमांक : जो.वि.वि.नि.लि./प्र.नि./मु.अ.(मु.)/अ.अ.(आर.ए.-सी.)/फा /प्रे. ५२४ दि. 30.06.17

आदेश

विषय:- ग्रामीण गैर आबादी क्षेत्र में घरेलु कनेक्शन दिये जाने के संबंध में।

ग्रामीण गैर आबादी क्षेत्रों में छितराये हुये आवासों को कनेक्शन दिये जाने हेतु आदेश संख्या-वाणिज्य/जोधपुर डिस्कॉम 785 दिनांक 30.05.2017 द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये गये थे। जिसके अंतर्गत 11केवी लाईन का विस्तार कर के उचित क्षमता का ट्रांसफार्मर लगाकर ट्रांसफार्मर से 100 मीटर की परिधि में स्थित आवासों को 3 या अधिक के समूह में कनेक्शन दिये जाने का प्रावधान है।

इसी क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि पूर्व में जारी आदेश क्रमांक वाणिज्य/जोधपुर डिस्कॉम 756 दिनांक 03.02.2017 के तहत यदि कोई आवेदित स्थल स्थापित एलटी लाईन से 100 मीटर की दूरी तक स्थित हो तो स्थापित ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाकर (यदि आवश्यक हो) कनेक्शन दिये जाने का प्रावधान वर्तमान में भी लागू है एवं साध्य होने पर उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार कनेक्शन दिये जा सकते हैं।

आज्ञा से

(यू.एस.चौहान)

अधीक्षण अभियंता (आर.ए. एंड सी)

जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

पेज 02 का 01